(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2990–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–07–2015 पारित द्वारा तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 11/2014–15/अ–12.

.....

1. सियाशरण
2. अरूण कुमार पुत्रगण सिकंदर सिंह लोधी
   निवासी सिल्लारपुर तहसील करैरा जिला शिवपुरी
3. श्रीमती ऊषा साहू पत्नी राजेश साहू
   निवासी दिनारा हाल निवास–दिनारा
   सिल्लारपुर तहसील करैरा जिला शिवपुरी
   म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. महिला दुरगिया पत्नी मुलायम सिंह
   हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम सिल्लारपुर
2. मीरा देवी पत्नी नारायण प्रसाद
3. इन्द्रा देवी पत्नी सालिकराम
4. रजनी देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद
   हिस्सा 1/2 निवासी कस्ता करैरा,
   ग्राम सिल्लारपुर तहसील करैरा जिला
   शिवपुरी म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23 फरवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार करैरा जिला

17 February 2016

शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक सियाशरण पुत्र सिकन्दर लोधी द्वारा ग्राम सिल्लारपुर तहसील करैरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 177 मिन रकवा 17.1 है0 भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेन पत्र कलेक्टर शिवपुरी को प्रस्तुत किया। अधीक्षक भू–अभिलेख शिवपुरी के पत्र कमांक 383/भू0अ0/रा0नि0/सीमा./2015/शिवपुरी दिनांक 1–6–2015 से द्वारा राकेश गुप्ता सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख करैरा के नाम से आवेदक सियाशरण लोधी एवं रमेश लहार का सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया। सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख ने दल गठित किया। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ग्राम आदि द्वारा मशीन के द्वारा आवेदक की भूमि का सीमांकन किया गया दल द्वारा अपना प्रतिवेदन मौका पंचनाम रसीद फील्डबुक आदि तहसीलदार करैरा को प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार करैरा ने आदेश दिनांक 23–7–15 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि सीमांकन दल ने सीमांकन चैन जरीब से न करते हुये मशीन से किया जो गलत है। यह भी तर्क दिया कि सीमांकन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर से इंकार लिखा है परन्तु हस्ताक्षर नहीं है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि सीमांकन मशीन से किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कोई कब्जा नहीं पाया और न ही सीमांकन में आवेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रतिवेदित की गई है। सीमांकन में क्या त्रुटि हुई है यह नहीं बतलाया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख अवलोकन किया। आवेदक सियाशरण पुत्र सिकन्दर लोधी द्वारा ग्राम सिल्लारपुर तहसील करैरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 177 मिन रकवा 17.1 है0 भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेन पत्र कलेक्टर शिवपुरी को प्रस्तुत किया। अधीक्षक भू–अभिलेख शिवपुरी के पत्र कमांक 383/भू0अ0/रा0नि0/सीमा./2015/शिवपुरी दिनांक 1–6–2015 के द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया। सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख ने दल गठित किया जिसपर राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पटवारी द्वारा मशीन के द्वारा आवेदक की भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांक दल द्वारा अपना प्रतिवेदन मौका पंचनाम रसीद फील्डबुक आदि तहसीलदार करैरा को प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत न होने से तहसीलदार करैरा ने आदेश दिनांक 23–7–15 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई। आवेदक का मुख्य रूप से तर्क है कि सीमांकन मशीन से किया है जो गलत है। आवेदक के तर्क में ऐसा कोई आधार नहीं है कि मशीन से सीमांकन में क्या त्रुटि हुई है इसके अतिरिक्त यदि आवेदक को सीमांकन के संबंध में कोई आपत्ति थी तो वह तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था। इस न्यायालय में आवेदक सीमांकन में हुई त्रुटि को स्पष्ट नहीं कर सका है। अतः तहसीलदार के आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार करैरा का आदेश दिनांक 23–7–2015 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर